संपादकीय

नागपुर में संघ-भाजपा में तालमेल

भले ही प्रसंग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सौ साल पूरा होने का हो, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की संघ के मुख्यालय की पहली यात्रा के गहरे निहितार्थ भी हैं। जो इस बात का संकेत है कि पिछले आम चुनाव के दौरान संघ व भाजपा के रिश्तों में जिस खटास की बात कही जा रही थी, वह संवाद व संपर्क से दूर कर ली गई है। जो इस बात का भी संकेत है कि आने वाले वक्त में पार्टी व सरकार के अहम फैसलों में संघ की भूमिका बढ़ सकती है। यूं तो प्रधानमंत्री ने बीते रविवार को नागपुर यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी की, लेकिन उनका प्रधानमंत्री के रूप में संघ मुख्यालय पहुंचना खास चर्चा में रहा। उल्लेखनीय है कि चौथाई सदी पहले संघ मुख्यालय पहुंचने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी भी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। साथ ही वे संघ की रीति-नीतियों से भली-भांति परिचित हैं। लेकिन पिछले आम चुनाव के दौरान भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के ऐसे बयान चर्चाओं में थे कि पार्टी का कद संघ से बड़ा हो गया है। जिसके चलते संघ व भाजपा के रिश्तों में कुछ कसक देखी गई। जिसकी कुछ इस तरह व्याख्या की गई कि पार्टी जिस तरह चार सौ पार के लक्ष्य से चूकी, उसके मूल में संघ कार्यकर्ताओं की उदासीनता रही है। बाद में दोनों के रिश्ते सामान्य होने के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो आशातीत सफलता हाथ लगी, कहा जा रहा था कि उसमें संघ कार्यकर्ताओं का समर्पण व योगदान महत्वपूर्ण घटक रहा। अब संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री की यात्रा से यह तथ्य भी उजागर हुआ कि दोनों की रीतियों-नीतियों फिर से बेहतर तालमेल स्थापित हुआ है। अब राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के फैसलों में संघ के दृष्टिकोण का प्रभाव नजर आएगा।

वहीं दूसरी ओर कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में संघ की भूमिका हो सकती है। ऐसा ही असर बदलते वक्त के साथ पार्टी के अन्य फैसलों पर भी नजर आ सकता है। यानी दोनों अब सामंजस्य व सहजता के साथ आगे बढ़ेंगे। अर्थात पार्टी अब अपने वैचारिक स्रोत के साथ बेहतर तालमेल करके चलना चाहेगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने संघ मुख्यालय में कहा कि संघ का विचार बीज अब वट वृक्ष का रूप ले चुका है। उन्होंने संघ कार्यकर्ताओं के योगदान की चर्चा करते हुए संघ को भारतीय संस्कृति का विशाल वट वृक्ष बताया। बहरहाल, भाजपा संघ से कुछ मुद्दों पर असहमति से आगे निकल चुकी है। उल्लेखनीय है कि आम चुनाव परिणाम के बाद संघ प्रमुख ने नसीहत दी थी कि लोगों की सेवा करने वाले एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी कतिपय उन नेताओं की तरफ इशारा भी था जिन्होंने कहा था कि पार्टी बड़ी हो गई है और उसे संघ की पहले की तरह जरूरत नहीं है। इसके बाद संघ ने अपने महत्व का अहसास पार्टी को कराया। जिसका राजनीतिक लाभ भाजपा को कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिला भी। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नागपुर यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों का निष्कर्ष यह भी है कि संघ परिवार की अब सरकार व पार्टी में भूमिका बढ़ सकती है। राजनीतिक पंडितों को तब आश्चर्य नहीं होगा यदि पार्टी के नये अध्यक्ष के चयन में संघ की मोहर लगे। यह भी हकीकत है कि लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते पूर्ण बहुमत से दूर रहने के कारण पार्टी की सहयोगी दलों पर निर्भरता बढ़ी है। जिसके चलते भाजपा अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिये संघ पर अधिक निर्भर रहेगी। निर्विवाद रूप से आने वाले समय में पार्टी को पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। ऐसे में भगवा पार्टी को अगले दो वर्षों में बड़ी सफलता हासिल करने के लिये संघ पर निर्भर रहना पड़ेगा। जहां संघ अपनी आधार भूमि को विस्तार दे रहा है।

वक्फ बोर्ड भूमि घोटाले में मुख्य पीड़ित बने मुसलमान

हर्ष रंजन

देश में सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी भूमि वक्फ़ की है। भारतीय वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली (वामसी) पोर्टल के मुताबिक भारत में वक्फ संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 37.39 लाख एकड़ से अधिक है। भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 32 वक्फ़ बोर्ड विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम करते हैं। कुल 8,72,802 वक्फ संपत्तियों के साथ, भारत में वक्फ संपत्तियों का आकार बहुत बड़ा है। इसके अलावा, 4,02,089 वक्फ बाय यूजर हैं, लेकिन उनके लिए कोई उचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद, केवल 1,088 वक्फ डीड पंजीकृत की गई हैंऔर 26,676 निजी वक्फ (वक्फ अल औलाद) संपत्तियां हैं।

भारत में वक्फ का इतिहास और वर्तमान संकट-भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन कई विधायी परिवर्तनों के माध्यम से विकसित हुआ है, जिसका उद्देश्य प्रशासन में सुधार और कुप्रबंधन को रोकना है। 1894 में प्रिवी काउंसिल के आदेश के बाद से, मुस्लिम वक्फ अधिनियम संशोधन (1913, 1923, 1930), वक्फ अधिनियम 1954 और इसके बाद हुए संशोधनों सहित विभिन्न कानूनों ने वक्फ प्रशासन को आकार दिया है। वक्फ अधिनियम, 1995 ने विनियामक तंत्र को और मजबूत किया, जिसमें 2013 में एक प्रमुख संशोधन ने इसके दायरे का विस्तार किया।

इतना शानदार इतिहास होने के बावजूद, भारत में वक्फ बोर्ड अनियमितताओं और कुप्रबंधन के आरोपों में घिरे हुए हैं। रिपोर्ट बताती हैं कि कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए वक्फ संपत्तियों को अक्सर अवैध रूप से बेचा जाता है या निजी संस्थाओं को औने-पौने दामों पर पट्टे पर दे दिया जाता है। बड़े पैमाने पर हुए इस भ्रष्टाचार ने मुस्लिम समुदाय के भीतर बढ़ती अशांति को जन्म दिया है क्योंकि अतिक्रमण, अवैध भूमि लेनदेन और कानूनी विवादों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि, भले ही इस समस्या को व्यापक रूप से पहचाना जाता है, लेकिन अधिकांश समुदाय के सदस्य सामाजिक प्रतिक्रिया और साथियों के दबाव के डर से बोलने से बचते हैं।

बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और कानूनी विवाद-वक्फ संपत्तियों के एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण है, जिस कारण कई कानूनी लड़ाइयां हो रही हैं। वामसीपोर्टल के अनुसार, वर्तमान में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण के 58,890 मामले हैं। वक्फ संपत्तियों से संबंधित कुल मुकदमेबाजी के मामलों की संख्या 31,999 है, जिनमें से 16,140 मामले विशेष रूप से अतिक्रमण से संबंधित हैं। इनमें से 3,165 मामले मुस्लिम याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए हैं। मुस्लिम समुदाय के कई लोगों का मानना है कि वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के चलते भ्रष्ट अधिकारियों और निहित स्वार्थी लोगोंके लिए इन संपत्तियों का दोहन करना संभव हुआ है, जिससे समुदाय को उसके सही संसाधनों से वंचित किया जा रहा है।

बोलने का डर और आंतरिक संघर्ष-इस मुद्दे ने समुदाय के भीतर आंतरिक कलह को जन्म दिया है क्योंकि लोगों को तेजी से एहसास हो रहा है कि वक्फ संपत्तियों का कुप्रबंधन मुख्य रूप से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि, सामाजिक दबावों के कारण खुलकर आलोचना करना दुर्लभ है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रमुख मुस्लिम हस्तियों, शिक्षाविदों और विचारकों ने वक्फ कानून सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बढ़ती, लेकिन अव्यक्त आम सहमति को उजागर किया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि कई समुदाय के प्रभावी लोग धार्मिक और राजनीतिक समूहों से प्रतिक्रियाओं के डर से इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बोलने में हिचकतेहैं।

पूरे भारत में मुकदमेबाजी और शिकायतें-अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण के बारे में कई शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अतिक्रमणों का पैमाना खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें अक्सर वक्फ बोर्ड की प्रत्यक्ष संलिप्तता होती है। विभिन्न शहरों में कई मामले संकट की सीमा को उजागर करते हैं: भोपाल में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से एक वक्फ कॉम्प्लेक्स बनाया गया था और 125 पंजीकृत कब्रिस्तानों में से 101 रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। हैदराबाद में अकेले 2021 में अतिक्रमणकारियों को 765 नोटिस जारी किए गए, जबकि भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के पास 5 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है, फिर भी इसकी 75 प्रतिशत जमीन पर अतिक्रमण है। मुंबई में, महाराष्ट्र की 60 प्रतिशत से अधिक वक्फ भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, परेल में मूल रूप से 72 एकड़ में फैली लाल शाह बाबा दरगाह, अब वक्फ भूमि पर बने आवासीय टावरों से घिरी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि लखनऊ में वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई 78 प्रतिशत भूमि वास्तव में सरकारी स्वामित्व वाली है और 1989 के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसने अवैध रूप से गैर-खेती योग्य भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया था। पटना में, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हिंदू बहुल गांव गोविंदपुर, फतुहा में भूमि के स्वामित्व का दावा करते हुए एक नोटिस जारी किया, जिससे सात हिंदू परिवार प्रभावित हुए।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है-वक्फ संशोधन विधेयक 2024 सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके माध्यम से मुसलमानों के साथ अन्याय करने का दावा भ्रामक है, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य समुदाय के लाभ के लिए बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों और कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि सामुदायिक संपत्तियों के आगे दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ बोर्डों को पूरी तरह से बदलना चाहिए। कुछ लोगों का सुझाव है कि वक्फ संपत्तियों को सख्त सरकारी निगरानी के तहत लाया जाना चाहिए, जिसमें निर्णय लेने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने वाले तंत्र हों। वक्फ मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि सामुदायिक कल्याण के लिए बनाई गई संपत्तियां भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं बननी चाहिए।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की मुख्य विशेषताएं-वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वक्फ संपत्तियों से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के रूप में सराहा जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों के भीतर प्रशासनिक अक्षमताओं को दूर करना है। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और उन्हें वामसी पोर्टल पर अपलोड करने में विफलता रही है। संशोधन में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी वक्फ संपत्तियों को छह महीने के भीतर ऑनलाइन पंजीकृत किया जाए, ताकि अधिक पारदर्शिता और पहुंच में आसानी सुनिश्चित हो सके।

सरकार का होमवर्क और परामर्श-सरकार ने पिछले आठ वर्षों में मुस्लिम समुदाय के साथ व्यापक परामर्श किया है, जिसमें वक्फ से संबंधित मुद्दों और संभावित सुधारों पर देशव्यापी चर्चाएं शामिल हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर एक संयुक्त समिति का गठन किया गया, जिसने जनता की प्रतिक्रिया लेने के लिए पूरे भारत में 36 बैठकें कीं। इसके अलावा, समिति को संबंधित नागरिकों से लाखों सुझाव मिले, जिससे संशोधन की आवश्यकता और भी बढ़ गई। विशेष समूहों के दावों के विपरीत कि सरकार विधेयक थोप रही है, वास्तविकता यह है कि प्रस्तावित संशोधन व्यापक परामर्श का परिणाम हैं। विधेयक का प्राथमिक प्रतिरोध मुस्लिम समुदाय के भीतर प्रभावशाली व्यक्तियों से आता है, जो इसे वित्तीय खतरे के रूप में देखते हैं क्योंकि इससे वक्फ संपत्तियों की अवैध बिक्री और अतिक्रमण पर रोक लग जाएगी।

हालांकि, आम मुस्लिम आबादी, खासकर मुस्लिम महिलाओं ने यह मानते हुए सरकार की पहल का स्वागत किया है कि ये सुधार सामुदायिक संपत्तियों का और अधिक शोषण होने से बचाएंगे।

निष्कर्ष-वक्फ संपत्ति अनियमितताओंसे न केवल वक्फ बोर्डों की प्रशासनिक विफलता का पता चलता है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के लिए एक नैतिक दुविधा भी खड़ी हो गई है। जब तक इस भूमि के निष्पक्ष प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए साहसिक कदम नहीं उठाए जाते, तब तक घाटा बढ़ता रहेगा, जिसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जो वक्फ संसाधनों पर सबसे अधिक निर्भर हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 एक व्यवस्थित और पारदर्शी समाधान की पेशकश करता है, लेकिन सवाल यह है: क्या समुदाय व्यापक भलाई से जुड़े इन सुधारों का समर्थन करेगाया आंतरिक सत्ता संघर्ष इसकी प्रगति में बाधा डालते रहेंगे।

यमुना की सफाई और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की बड़ी चुनौती

मनोज कुमार मिश्र

27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 मार्च को बतौर वित्तमंत्री एक लाख करोड़ का बजट पेश करके अपनी सरकार के कामकाज की दिशा तय की। दिल्ली के लिए यह ऐतिहासिक बजट माना जा रहा है। बजट में उन सभी कामों के लिए आवंटन किया गया है, जिनके वायदे भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए थे। कुछ पर तो काम भी शुरू हो गया है और कुछ पर आने वाले दिनों में काम शुरू होने के संकेत हैं।

मुख्यमंत्री ने पिछले बजट से करीब 31.5 फीसदी की बढ़ोतरी की है और उनका दावा है कि इस वित्तीय साल में राजस्व भी 58,750 करोड़ रुपए के मुकाबले 68,000 करोड़ रुपए मिलने वाला है। वैसे तो हर काम में पैसे के साथ-साथ पूरी तैयारी और चौकसी जरूरी है लेकिन यमुना की सफाई के साथ-साथ पानी का संकट दूर करने और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की बहुत बड़ी चुनौती है। ये सभी काम केवल पैसे से न होंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान अन्य मुद्दों से ज्यादा ये दोनों मुद्दे प्रभावी रहे। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ यमुना की आरती में शामिल हुई और यमुना को साफ करने का संकल्प दोहराया। यमुना का पानी मानक के हिसाब से तो यमुनोत्री के आगे कुछ ही दूर तक साफ है, लेकिन दिल्ली में पल्ला बांध (वजीराबाद) से ओखला यानी 22 किलोमीटर तो गंदे नाले से भी बदतर हाल में है। इसको साफ करने के नाम पर वर्षों से करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस सरकार ने बजट में यमुना की सफाई के लिए नौ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

यह वर्षों से प्रयास किया जा रहा है कि यमुना में गंदा पानी जाने से रोका जाए। यमुना को साफ कर उसे अहमदाबाद के सावरमती नदी की तरह विकसित की जाए। यमुना के किनारे कोयले बिजली बनाने वाले संयत्र सालों पहले बंद करा दिए गए। औद्योगिक कचरे या सीवर के गंदे पानी को साफ करने वाले संयंत्रों के माध्यम से साफ करके ही पानी यमुना में जाने दिया जाए। यमुना को प्रदूषित करने में अव्वल माने जाने वाले नजफगढ़ नाले में इंटरसेप्टर लगवाया गया। इस बजट में भी नए इंटरसेप्टर का प्रावधान किया गया है। 1994 में जब यमुना के पानी में दिल्ली को तब के मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना ने हिस्सा दिलाया था, तब दिल्ली का हरियाणा के साथ एक और समझौता हुआ था कि हरियाणा जितना पीने का पानी पल्ला बांध पर दिल्ली को देगा, दिल्ली उसे उतना ही पानी ओखला बांध पर सिंचाई के लिए देगी। अभी यमुना का पानी साफ होने को ही दिल्लीवासी सपना मान रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो दिल्ली पानी के मामले काफी आत्मनिर्भर हो जाएगी और यमुना साफ होकर दर्शनीय बन जाएगी।

यमुना सफाई जितना ही कठिन काम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त या यहां का प्रदूषण स्तर कम करना है। दिल्ली सरकार के बजट में इसको भी प्राथमिकता दी गई है। अलग-अलग तरीके से प्रदूषण नियंत्रित करने की बात कही गई है लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी तरह के प्रदूषण (वायु, जल और हवा इत्यादि) के साथ-साथ कचरा और आपदा प्रबंधन के लिए एक ही जगह निगरानी व्यवस्था के लिए साझा केन्द्र (इंट्रीग्रेटेड कमान एंड कंट्रोल सेंटर) बनाने का प्रावधान किया गया है। कहने के लिए 1483 वर्ग किलोमीटर की दिल्ली है लेकिन एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के शहर दिल्ली से इस कदर जुड़े हुए हैं कि उन सभी को साथ लिए बिना कोई अभियान सफल नहीं हो सकता। केन्द्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के सभी पड़ोसी राज्यों, दिल्ली नगर निगम और दूसरी सरकारी एजेंसियों को साथ लेकर जनता की सक्रिय भागीदारी से इसका समाधान निकाला जा सकता। यह साबित हो चुका है कि केवल आधे कारों को हर रोज सड़क पर आने से रोकने से वायु प्रदूषण में ज्यादा कमी नहीं आने वाली है। दूसरे, सरकारी कुव्यवस्था झेल रहे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली इस हालत में भी नहीं है कि दिल्ली सरकार इस तरह के प्रयोग बार-बार कर पाए। गिनती के बचे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और सरकार के अधीन चलने वाली बसों की तादाद तुरंत बढ़ानी होगी। इस बजट में सार्वजनिक परिवहन पर 12,952 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने बिजली से चलने वाली पांच हजार बसें तुरंत खरीदने का वायदा किया है।

दिल्ली के चारों ओर ईस्टर्न पेरिफेरियल और वेस्टर्न पेरिफेरियल सड़क बन जाने से दिल्ली होकर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले ट्रकों का दिल्ली के भीतर आना कम हुआ है। केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली के लिए 50 हजार करोड़ की परियोजना बनाई थी, इसमें ज्यादातर पूरे भी हो गए हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) समेत अनेक अदालतों ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बार-बार कड़े आदेश दिए हैं। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की एक बड़ी वजह पराली जलाना भी माना जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान खेत में फसलों के अवशेष जलाते हैं, जिसका धुंआ दिल्ली पर छा जाता है। अदालती आदेश के बाद सरकारों ने पराली न जलाने और पराली के दूसरे बेहतर उपयोग के प्रयास शुरू किए हैं। इसी तरह एनजीटी ने पेट्रोल से चलने वाली 15 साल पुरानी और डीजल से चलने वाली 10 साल पुरानी कारों पर पाबंदी लगा दी है। बावजूद इसके प्रदूषण कम होता नहीं दिख रहा है।

आजकल

नीतियां बदलने की जरूरत

जैसा कि दुनिया ने देखा कि रूस 2022 की शुरुआत में यूक्रेन पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। अमरीका भर में सबसे आम भविष्यवाणी यह थी कि रूसी सेना कुछ ही समय में यूक्रेनी रक्षकों पर भारी पड़ जाएगी। रूस के 900,000 सक्रिय-ड्यूटी कार्मिक, 2 मिलियन रिजर्व बल, तथा 45 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट, यूक्रेन के बजट से बहुत बड़ा था, जिसके पास आक्रमण के समय अनुमानित 196,000 सक्रिय-ड्यूटी सैनिक, 900,000 रिजर्व सैनिक तथा रक्षा व्यय रूस के व्यय का दसवां हिस्सा था।

एक विवरण के अनुसार, तत्कालीन अमरीका के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिली ने कांग्रेस के सदस्यों के समक्ष निजी तौर पर भविष्यवाणी की थी कि यूक्रेन 72 घंटों में घुटने टेक देगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व किसी यूरोपीय राष्ट्र पर पहली विजय देखेगा। मास्को के गलत आकलन के कारण रूस को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। लाखों रूसी बड़ी संख्या में मारे गए तथा रूसी अर्थव्यवस्था के कई हिस्से तबाह हो गए। यदि पुतिन को उस महत्वपूर्ण संघर्ष का सही अनुमान होता तो शायद उन्होंने हमला न किया होता।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वियतनाम से लेकर क्यूबा, कोरिया,कोसोवो तक,प्रमुख युद्धों की समीक्षा दृढ़ता से सुझाव देती है कि लड़ने के लिए प्रतिद्वंद्वी की इच्छा को गलत समझना अमरीकी सैन्य और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के उन प्रयासों की विफ लता में एक प्रमुख योगदानकर्त्ता रहा है। कोरिया में, संयुक्त राज्य अमरीका ने अक्टूबर 1950 में जनरल डगलस मैकआर्थर के यालू नदी के पास पहुंचने पर संघर्ष में शामिल होने की चीन की इच्छा का गलत अनुमान लगाया। इसके बाद लगभग तीन साल तक खूनी युद्ध चला।

राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के प्रशासन ने 1965 में वियतनाम में अमरीकी सैन्य प्रयासों को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि संयुक्त राज्य अमरीका उत्तरी वियतनाम की 'किसान सेना' को हरा सकता है जबकि वे लगभग एक दशक तक फ्रांसीसी अभियान को संघर्ष करते हुए देख रहे थे।

हरिभाऊ वाकणकर: भीमबैठका और वैदिककालीन मान व सभ्यता के प्रमाण खोजे थे

रमेश शर्मा

सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद् की पुण्यतिथि (03 अप्रैल 1988) पर विशेष

डॉक्टर हरिभाऊ वाकणकर की गणना संसार के प्रमुख पुरातत्वविदों में होती है। उन्होंने भारत के विभिन्न वनक्षेत्र के पुरातन जीवन और भोपाल के आसपास लाखों वर्ष पुराने मानव सभ्यता के प्रमाण खोजे। भीमबैठका उन्हीं की खोज है। उनके शोध के बाद विश्व भर के पुरातत्वविद् भारत आये और डाक्टर वाकणकर से मार्गदर्शन लिया। उनका पूरा नाम श्रीविष्णु श्रीधर वाकणकर था, लेकिन वे हरिभाऊ वाकणकर के नाम से प्रसिद्ध थे।

उनका जन्म 4 मई 1919 को मध्यप्रदेश के नीमच नगर में हुआ। पिता श्रीधरजी वाकणकर वैदिक विद्वान थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। बड़े भाई लक्ष्मण वाकणकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियर थे। उन्हें सिरेमिक कला में विशेषज्ञता प्राप्त थी। लिपियों के विकास विशेषकर देवनागरी के डिजिटलीकरण में विशेषज्ञ के रूप में उनकी ख्याति थी। हरिभाऊ जी की प्रारंभिक शिक्षा नीमच में ही हुई और उच्च शिक्षा के लिये बनारस गये। पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उनके भीतर भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट स्वाभिमान जागृत किया और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ने के लिये प्रेरित किया। वे बालवय में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गये थे। हरिभाऊ जी बहुत अध्ययन एवं कल्पनाशील थे, स्मरण शक्ति और स्वत्व वोध विलक्षण था। छात्र जीवन में अपनी कक्षा के साथियों और अन्य मित्रों से परस्पर चर्चा में तर्क सहित वे उन धारणाओं का खंडन करते थे जो विदेशी लेखकों ने भारतीय वाङ्मय की गरिमा कम करने के लिये स्थापित की थीं। शिक्षा पूरी कर उन्होंने इसी दिशा में कदम बढ़ाये। उन्होंने भारतीय पुरातन साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया और पुराणों कथाओं से संबंधित विवरणों के सजीव प्रमाण खोजे। अनेक उन तथ्यों को प्रमाणित किया जिन्हें मिथक कहकर नकारा जाता रहा था। इसमें वेद वर्णित सरस्वती नदी का अस्तित्व भी है।

वाकणकर जी ने सरस्वती नदी की खोज के लिये विश्व इतिहास के इस तथ्य को आधार बनाया कि संस्कृतियों के विकास और इतिहास के प्रमाणीकरण में नदियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वाकणकर जी ने वैदिक साहित्य में वर्णित सरस्वती नदी की खोज आरंभ की। उन्होंने उपग्रह छवि से प्रमाणित किया कि सरस्वती नदी का प्रवाह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरता है। आगे चलकर इस मार्ग के लिये एक परियोजना का गठन हुआ जिसके सलाहकार मंडल के संयोजक वाकणकर जी बनाये गये। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को भी सरस्वती नदी से जुड़े होने के प्रमाण दिये। पुरातात्विक खोज के लिये उन्होंने पूरे देश की यात्रा की। गंगा और नर्मदा के किनारे, विन्ध्य एवं सतपुड़ा पर्वत क्षणियों के मैदानों में लाखों वर्ष पुराने मानव सभ्यता के चिन्ह खोजे। पर उन्हें मालवा से बहुत लगाव था। इसलिये उन्होंने नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, कायथा, शाजापुर के साथ भोपाल, रायसेन, विदिशा आदि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया और वनक्षेत्र में पदयात्राएँ कीं। उनके जीवनवृत के अध्ययन से लगता है कि प्रकृति से उन्हें कोई अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त थी। वे पुरातात्विक और खंडित प्रतिमाओं को इतने ध्यान से देखते थे कि लगता था उनसे बातें कर रहे हो। कई बार तो बैठे-बैठे उठकर किसी विशिष्ठ स्थान की ओर चल देते थे अथवा चलती ट्रेन में अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर जंगल में उतर जाते थे और उन्हें वहाँ कुछ न कुछ पुरातात्विक खजाना मिल ही जाता था। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग चालीस किलोमीटर दूर भीमबेटका के प्राचीन शिलाचित्रों की खोज वाकणकरजी ने की थी। भीमबैठका और भोजपुर के आसपास के कुछ चित्र तो लगभग पौने दो लाख वर्ष पुराने प्रमाणित हुये। इन सभी चित्रों का कार्बन-डेटिंग पद्धति से परीक्षण किया गया। इसका सत्यापन अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने किया । इसी शोध के चलते उन्हें 1975 में पद्मश्री अलंकरण मिला।